

**कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।**

संख्या-²⁴⁹⁵/ई-2/स्था०-2023-24,

लखनऊ: दिनांक: जून: 30, 2023

:: कार्यालय-ज्ञाप ::

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2023-24 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किए जाने के आदेश एतद्द्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

क्रमांक	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद सर्वश्री	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	आनन्द प्रकाश 20.01.1968/ मुजफ्फरनगर	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शाखा नहर खण्ड, शाहजहांपुर	ऊपरी मांट शाखा खण्ड गंगा नहर, खुर्जा, बुलन्दशहर (तृतीय उपखण्ड)	स्वयं के अनुरोध पर
2	अमित सिंह राठौर 03.08.1990 एटा	ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़	बाढ़ खण्ड शाखदानगर, लखीमपुर खीरी (चतुर्थ उपखण्ड)	स्वयं के अनुरोध पर
3	संजय कुमार जैन 23.04.1970/ अलीगढ़	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान-2 अनुभाग) लखनऊ	निचली मांट शाखा खण्ड गंगा नहर, मथुरा (सम्बद्ध पद पर)	स्वयं के अनुरोध पर।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

**अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष**

संख्या:-²⁴⁹⁵(1)/ई-2/तददिनांक 30/06/23


- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- निजी सचिव, मा० जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
 - 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी सिंचाई/यांत्रिक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
 - 3- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को औपचारिक आदेश के अनुमोदन हेतु प्रेषित।
 - 4- अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-13, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - 5- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
 - 6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(स्तर-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, को इस आशय से प्रेषित है कि अपने संगठन से स्थानान्तरित समस्त सहायक



अभियन्ताओं को स्थानान्तरण आदेश की प्रति हस्तगत कराते हुए, प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना अविलम्ब अवमुक्त कर दें तथा इसकी सूचना लौटती डाक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाने की तिथि से प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त न करने की दशा में सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी एवं स्थानान्तरित सहायक अभियन्ताओं द्वारा नवीन तैनाती कार्यालय में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त सूची में अंकित किसी सहायक अभियन्ता के पूर्व में स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए गये थे, और उनकी अनुपालना वर्तमान तक नहीं हुई है, वह आदेश इन आदेशों के क्रम में स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

- 7- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(परिकल्प एवं शोध) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्रशिक्षण पत्रावली हेतु।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता(कम्प्यूटर केन्द्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, चरित्र पंजी प्रकोष्ठ(ई-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता
- 11- वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष/परि० एवं नियो०/परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 12- वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियन्ता,(कार्मिक-स्तर-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 13- अध्यक्ष/महासचिव, उ०प्र० सहायक अभियन्ता संघ एवं सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- वैयक्तिक पत्रावली/ कट फाइल।


- 30/6/23
(विजय कुमार बसेइया)
मुख्य अभियन्ता(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता सि० एवं ज० सं० वि० उ० प्र०


30/6/23